

समाहरणालय, सहरसा

(जिला सामान्य शाखा)

॥ -आम सूचना - ॥

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4248 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पारित आदेश बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4,5,6, एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी कॉलम, 5 में दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है तथा उक्त क्षेत्र को कॉलम, 2 में अंकित नगर पंचायत कहा जायेगा।

क्र०	प्रस्तावित नगर पंचायत का नाम/प्रखण्ड	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना नं०	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर पंचायत की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर)
01	नगर पंचायत, बनगाँव (कहरा)	बनगाँव-137	बनगाँव दक्षिण, बनगाँव उत्तरी, बनगाँव पूर्वी (पूर्ण भाग)	उत्तर-बलहा/देवनागोपाल-140, 141,142 दक्षिण-चैनपुर-135, पड़री-136 पूरब-रहुआमणी-191, बरियाही-192 पश्चिम-महिषी-105	30061

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, बनगाँव में बनगाँव दक्षिण पूर्ण पंचायत, बनगाँव उत्तर पूर्ण पंचायत एवं बनगाँव पूर्वी पूर्ण पंचायत मिलाकर नगर पंचायत बनने के बिन्दु पर आपत्ति/सुझाव संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में दिनांक 26.01.2021 तक समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह समझा जायगा कि नगर पंचायत, बनगाँव बनने से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

- ज्ञापांक...1948-3/सा० सहरसा, दिनांक...26/12/2020
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कहरा को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश है कि अपने स्तर से प्रखण्ड कार्यालय में आपत्ति/सुझाव चिपकाये जाने का प्रावधान के आलोक में इस संबंध में उद्घोषणा या तो संबद्ध स्थानीय इलाके में डूंगडूगी बजाकर या किसी अन्य माध्यम से प्रचार करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इसका वृहत प्रचार-प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे।


जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

समाहरणालय, सहरसा

(जिला सामान्य शाखा)

॥ -आम सूचना - ॥

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4248 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पारित आदेश बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4,5,6, एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी कॉलम, 5 में दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है तथा उक्त क्षेत्र को कॉलम, 2 में अंकित नगर पंचायत कहा जायेगा।

क्र०	प्रस्तावित नगर पंचायत का नाम/प्रखण्ड	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना नं०	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर पंचायत की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर)
01	नगर पंचायत, बनगाँव (कहरा)	बनगाँव-137	बनगाँव दक्षिण, बनगाँव उत्तरी, बनगाँव पूर्वी (पूर्ण भाग)	उत्तर-बलहा/देवनागोपाल-140, 141,142 दक्षिण-चैनपुर-135, पड़री-136 पूरब-रहुआमणी-191, बरियाही-192 पश्चिम-महिषी-105	30061

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, बनगाँव में बनगाँव दक्षिण पूर्ण पंचायत, बनगाँव उत्तर पूर्ण पंचायत एवं बनगाँव पूर्वी पूर्ण पंचायत मिलाकर नगर पंचायत बनने के बिन्दु पर आपत्ति/सुझाव संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में दिनांक 26.01.2021 तक समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह समझा जायगा कि नगर पंचायत, बनगाँव बनने से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।


 जिला पदाधिकारी,
 सहरसा।